न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः **188 / 2024** दायर दिनाँक **24.07.2024**

वादी

1. बजरंगलाल पुत्र स्व0 रामूराम जाति जाट निवासी ठाकरियास तहसील डीडवाना जिला डीडवाना—कुचामन राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. अन्नी पत्नी स्व0 रामकरण
2. गणेशाराम पुत्र स्व0 रामकरण
3. टिकूराम पुत्र स्व0 रामकरण
4. डुंगरराम पुत्र स्व0 रामकरण
5. बैगाराम पुत्र स्व0 रामकरण
6. शेराराम पुत्र स्व0 रामकरण
7. बाली देवी पुत्री स्व0 रामकरण
8. भंवरी पुत्री स्व0 रामकरण
9. किशनी पुत्री मोहनराम
10. धन्नीदेवी पुत्री मोहनराम
11. नराणीदेवी पुत्री मोहनराम
12. चूकली पत्नी महरामाराम
13. गोपालराम पुत्र महरामाराम
14. सुखदेवा पुत्र महरामाराम
15. चतराराम पुत्र स्व0 रामूराम
16. लच्छीराम पुत्र स्व0 रामूराम
17. हनुमानाराम पुत्र स्व0 रामूराम समस्त जाति जाट निवासी ठाकरियास तहसील डीडवाना जिला डीडवाना—कुचामन राज0
18. मुन्नी पत्नी रावताराम
19. गोविन्दराम पुत्र रावताराम
20. नारायणराम पुत्र रावताराम
21. रामदेवाराम पुत्र रावताराम समस्त जाति जाट निवासी नोरंगपुरा तहसील डीडवाना जिला डीडवाना—कुचामन राज0
22. ग्राम पंचायत दुदोली तहसील डीडवाना
23. मेनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा डीडवाना
24. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः—

श्री जयप्रकाश वकील वादी

—:: अंतिम निर्णय ::—

दिनाँक **17.01.2025**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है मौजा ठाकरियास पटवार हल्का दादुबासनी की शहरद में खेत खसरा सं0 375 रकबा 12.2600 हैक्टे0, व खसरा सं0 181 रकबा 6.3200 हैक्टे0, खसरा सं0 340 रकबा 1.7400 हैक्टे0, खसरा सं0 528 रकबा 2.7200 हैक्टे0 की भूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 21 के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनाँक **28.11.2024** को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांकः 42 दिनाँक 13.01.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानु[illegible] बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः त[illegible]डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन जरिये पत्रांकः 42 दिनाँक 13.01.2025 को स[illegible] कर [illegible] बाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश किया जाता है कि :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.08 11:17:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्[illegible]
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

–:: आदेश ::–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा ठाकरियास पटवार हल्का दादुबासनी की शहरद में खेत खसरा सं0 375 रकबा 12.2600 हैक्टे0, व खसरा सं0 181 रकबा 6.3200 हैक्टे0, खसरा सं0 340 रकबा 1.7400 हैक्टे0, खसरा सं0 528 रकबा 2.7200 हैक्टे0 भूमि का वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 21 के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 42 दिनाँक 13.01.2025 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते है।

तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 42 दिनाँक 13.01.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

Vikas

(विकास मोहन भाटी, **R.A.S.**)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **17.01.2025** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी, **R.A.S.**)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.08 11:17:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना
बइजलास : **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **188/2024** दायर दिनाँक **24.07.2024**

वादी

1. बजरंगलाल पुत्र स्व0 रामूराम जाति जाट निवासी ठाकरियास तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. अन्नी पत्नी स्व0 रामकरण
2. गणेशाराम पुत्र स्व0 रामकरण
3. टिकूराम पुत्र स्व0 रामकरण
4. डुंगरराम पुत्र स्व0 रामकरण
5. बैगाराम पुत्र स्व0 रामकरण
6. शेराराम पुत्र स्व0 रामकरण
7. बाली देवी पुत्री स्व0 रामकरण
8. भंवरी पुत्री स्व0 रामकरण
9. किशनी पुत्री मोहनराम
10. धन्नीदेवी पुत्री मोहनराम
11. नराणीदेवी पुत्री मोहनराम
12. चूकली पत्नी महरामाराम
13. गोपालराम पुत्र महरामाराम
14. सुखदेवा पुत्र महरामाराम
15. चतराराम पुत्र स्व0 रामूराम
16. लच्छीराम पुत्र स्व0 रामूराम
17. हनुमानाराम पुत्र स्व0 रामूराम समस्त जाति जाट निवासी ठाकरियास तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन राज0
18. मुन्नी पत्नी रावताराम
19. गोविन्दराम पुत्र रावताराम
20. नारायणराम पुत्र रावताराम
21. रामदेवाराम पुत्र रावताराम समस्त जाति जाट निवासी नोरंगपुरा तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन राज0
22. ग्राम पंचायत दुदोली तहसील डीडवाना
23. मेनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा डीडवाना
24. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा–53, 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक **17.01.2025**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री जयप्रकाश वकील वादी की और सें मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा ठाकरियास पटवार हल्का दादुबासनी की शहरद में खेत खसरा सं0 375 रकबा 12.2600 हैक्टे0, व खसरा सं0 181 रकबा 6.3200 हैक्टे0, खसरा सं0 340 रकबा 1.7400 हैक्टे0, खसरा सं0 528 रकबा 2.7200 हैक्टे0 भूमि का वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 21 के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 42 दिनाँक 13.01.2025 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते है।

तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रां[illegible]क 13.01.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.08 11:17:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **17.01.2025** को सरे इजलास में जारी की गयी।

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.08 11:17:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner